कार्यालय– प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती

पत्रांक 2294/16–1, दिनांक श्रावस्ती, मार्च 3 /2022

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल
मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
नई दिल्ली

विषयः– राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायालय नई दिल्ली में योजित याचिका सं0–393/2021 के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– प्रार्थना पत्र सं0–393/2021 के साथ संलग्न आपका पत्र दिनांक–30.09.2021।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न श्री अजय कुमार व श्री जिलेदार पुत्र मुनीजर प्रसाद आदि के शिकायती पत्र दिनांक–14.06.2021 की जांच अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुश्री अर्चना रावत, सहायक वन संरक्षक एंव क्षेत्रीय वनाधिकारी भिनगा से कराई गई। दिनांक–23.2.2022 को मौके पर सुंयक्त जांच के उपरान्त अवगत कराया गया है कि जांच के समय शिकायतकर्ता श्री अजय कुमार व श्री जिलेदार पुत्र श्री मुनीजर प्रसाद व अन्य ग्रामवासी भी मौजूद थे। शिकायती पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये विवरण निम्न प्रकार हैः–

1–मौके पर किसी वृक्ष का अवैध कटान नही पाया गया।

2–शिकायतकर्ता एंव अन्य से पूँछ–तॉछ की गयी। शिकायतकर्ता ने पूँछ–तॉछ के दौरान स्वीकार किया कि उसने यह शिकायत ग्राम प्रधान श्रीमती अनुराधा मिश्रा से जमीनी विवाद होने के कारण की है। **कोई वृक्ष अवैध रूप से नही काटा गया है।** इस सम्बन्ध में उनके द्वारा लिखित बयान भी दिया गया। **(संलग्नक–1)**

3–जांच के समय मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधान श्रीमती अनुराधा मिश्रा तथा अन्य ग्रामीणों से पूँछ–तॉछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि श्री जिलेदार मिश्रा पुत्र श्री मुनीजर प्रसाद ग्राम सभा पंड़री शंकर नगर क्षेत्र लक्ष्मनपुर बाजार तहसील भिनगा जिला श्रावस्ती द्वारा जो शिकायत अवैध वृक्षों के कटान की गई है, वह निराधार और असत्य है। ग्राम प्रधान का बयान संलग्न है।**(संलग्नक–2)**

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि मौके पर किसी वृक्ष के अवैध कटान की घटना नही हुई है। शिकायत कर्ता द्वारा यह शिकायत आपसी जमीनी विवाद को लेकर की गई है, जो जांच में मौके पर तथ्यविहीन एंव असत्य व निराधार पायी गई।

अतः मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक–24.01.2022 के समादर में अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
3.3.2022
(ए0पी0यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती।

संख्या /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिला अधिकारी श्रावस्ती।
2–पलिस अधीक्षक, श्रावस्ती।
3–श्री अजय कुमार व श्री जिलेदार पुत्र मुनीजर प्रसाद निवासी पड़री शकरनगर थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती।

(ए0पी0यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती।

शिकायत कर्ता के बयान

महोदय,

आज दिनांक 23/02/2022 को मौके पर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा शिकायतकर्ता अजय कुमार मिश्रा, जिलेदार मिश्रा, ननके प्रसाद व सालिकराम पुत्र मुनीजर प्रसाद निवासी ग्राम-पडरी तहसील- ~~भि~~ भिनगा जिला श्रावस्ती द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र माननीय अध्यक्ष/सचिव महोदय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओरिजनल प्रार्थना पत्र 393/2021 अजय कुमार उत्तर-प्रदेश सरकार के अनुपालन में ग्राम पडरी मे स्थित तालाब गा० सा० 556/0.445 हे० की जाँच की गयी मौके पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नही पाया गया। शिकायतकर्ताओ से पूछ-ताछ किया गया इन लोगो द्वारा ये बताया गया कि वर्तमान मे प्रधान अनुराधा मिश्रा से मेरा जमीनी विवाद हो गया था जिसके कारण हमलोगो ने यह प्रार्थना पत्र व शिकायत किया। अब मेरा इस शिकायत से कोई सरोकार नही है हम लोग बिना किसी जोर-दबाव के जाँच से संतुष्ट हो कर मै यह शिकायत वापस लेता हू। बयान पढ़ कर सुनकर हम लोगो ने हस्ताक्षर किया।

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर — गवाह

1. अजय कुमार मिश्रा — पवन कुमार
2. जिलेदार
3. सालिकराम — ओम प्रकाश
4. ननके प्रसाद — फरीद

राकेश कुमार तिवारी
व०क्षे०अधि०
भिनगा

Sunil
व.र.

बयान मेरे द्वारा लिया गया है।

23/02/2022

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
~~भिनगा~~
श्रावस्ती वन प्रभाग,
श्रावस्ती।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिलेदार मिश्रा s/o मुरलीधर प्रसाद ग्राम पडरी शंकर नगर ब्लाक लक्ष्मणपुर बाजार तहसील भिनगा जीला-श्रावस्ती द्वारा जो शिकायत अवैध वृक्षों के कटान की कीगयी है वह निराधार और असत्य है उक्त जमीन ग्राम समाज की है

अनुराधा
प्रधान
ग्राम पं० पडरी
... श्रावस्ती
प्रधान

गवाह

नि०अ० छोटेलाल

नि०अ० इद्दू

नि०अ० सिरी

नि०अ० बंशीलाल

नि०अ० राजेश

नि०अ० बब्लू